S. No. 41(E)

52

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. (डॉ.) जसपाल एस. सन्धू
सचिव
Prof. (Dr.) Jaspal S. Sandhu
MBBS, MS (Ortho), DSM, FAIS, FASM, FAFSM, FFIMS, FAMS
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23239337, 23236288,
Fax : 011-23238858, email : jssandhu.ugc@nic.in

अर्द्धशासी पत्र सं0 13–1/2000 (ईए/ईएनवी/सीओएस–I) 20 NOV 2014 नवम्बर, 2014

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 07 अगस्त, 2014 के समसंख्यक पत्र का संज्ञान लें जो कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/भारत के समस्त संस्थानों में पर्यावरणीय अध्ययन के लिए छह माह की मापांक पाठ्यचर्या उच्च शिक्षा के समस्त शाखाओं में स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम के रूप में अनिवार्य रूप से क्रियान्वित करने के विषय में था। अभी तक कई विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में पर्यावरणीय अध्ययन के स्नातकपूर्व स्तर पर छह माह अवधि के मापांक पाठ्यक्रम को क्रियान्वित नहीं किया गया है। आपके द्वारा की गई कार्यवाही/की जा रही कार्यवाही अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आप (आगामी सत्र में) कथित पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करें तथा ऐसा न करने की स्थिति में सम्पूर्ण मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सूचित करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संज्ञान में लाया जायगा तथा इस उद्देश्य से इस विषय में एक उपयुक्त याचिका दायर की जायेगी। इसके साथ ही चूककर्ता विश्वविद्यालयों के अनुदान पर रोक लगाने की कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जायेगी। इसके साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप अपने समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से सह सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के संज्ञान में यह तथ्य तुरन्त लायें तथा इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें।

आदर सहित

भवदीय

जसपाल सिंह सन्धू

(जसपाल सिंह सन्धू)

ISSUED

d/c